तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.24/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
01.11.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री रमेशचन्द्र सैनी, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी पूनमाराम चौधरी पुत्र अमराराम चौधरी, जाति– चौधरी, निवासी– हस्तिनापुर, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्यकारोबारकर्ता, फर्म मुकेश किराणा स्टोर, वलदरा सर्कल, डोडुआ रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री रमेशचन्द्र सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 27.10.2021 को फर्म मुकेश किराणा स्टोर, वलदरा सर्कल, डोडुआ रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी पूनमाराम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (Vitalife Brand) का नमूना संख्या S-1519 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./783/Act/2021/976 दिनांक 17.12.2021 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 19.10.2022 को प्रतिवादी पूनमाराम ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रकरण में प्रतिवादी को दिनांक 19.10.2022 ही सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है एवं भविष्य में अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय नही करेगा। प्रतिवादी छोटा व्यापारी है, प्रतिवादी ने पैकिंग अवस्था में ही उक्त खाद्य सामग्री क्रय कर पैकिंग अवस्था में ही विक्रय की है, जिसका उसके पास बिल नही है। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) दिनांक 27.10.2021 को दौराने गश्त समय 4.00 पी.एम. [illegible] के निरीक्षण हेतु फर्म मुकेश किराणा स्टोर, वलदरा सर्कल, डोडुआ रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही [illegible] पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी पूनमाराम .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:22:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला सिरोही (राज०)
अति. जिला कलेक्टर
सिरोही-307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.24/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	चौधरी पुत्र अमराराम चौधरी, जाति– चौधरी, निवासी– हस्तिनापुर, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (Vitalife Brand) बेचता है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (Vitalife Brand) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता पूनमाराम चौधरी को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दुकान के अन्दर स्टील की ट्रे में बिक्री हेतु मौजूद रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (Vitalife Brand) के 16 पैक्ड बोतल (प्रत्येक एक लीटर) में से रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (Vitalife Brand) की 4 पैक्ड बोतल (प्रत्येक एक लीटर) वास्ते नमूना जांच क्रय की एवं उसकी कीमत राशि रुपये 640/– (अक्षरे रुपये छः सौ चालीस मात्र) विक्रेता पूनमाराम को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1519, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (Vitalife Brand) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। खरीदशुदा रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (Vitalife Brand) की चारों पैक्ड बोतलों पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों नमूना बोतलों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1519 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वि[illegible] लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस प[illegible] गवाह व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अ[illegible] है। तत्पश्चात् तत्का[illegible] श्री विनोद कुमार शर्मा ने कार्यालय में पहुंचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:22:51 IST
Reason: SelfAttested

मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.24/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दिनांक 28.10.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 27.10.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म मुकेश किराणा स्टोर, वलदरा सर्कल, डोडुआ रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता पूनमाराम से खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (Vitalife Brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (Vitalife Brand) के नमूना संख्या S-1519 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./783/Act/2021/976 दिनांक 17.12. 2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (Vitalife Brand) नमूना संख्या S-1519 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी पूनमाराम चौधरी ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (Vitalife Brand) की एक–एक लीटर की पैक्ड बोतलों के क्रय का बिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नही किया एवं न .ही इस न्यायालय में ऐसा कोई [illegible] यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी पूनमाराम चौधरी पु[illegible] चौधरी, जाति– चौधरी, निवासी– [illegible] सिरोही, खाद्य कारो[illegible] किराणा स्टोर, वलदरा सर्कल, डोडुआ रोड, [illegible]न्द्री, तहसील व जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-stan[illegible]d) खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (Vitalife Brand) का विक्रय करके खाद्य .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:22:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.24/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमानक (Sub-standard) प्रोपराईटरी फूड बर्फी का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी पूनमाराम चौधरी पुत्र अमराराम चौधरी, जाति– चौधरी, निवासी– हस्तिनापुर, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मुकेश किराणा स्टोर, वलदरा सर्कल, डोडुआ रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी पूनमाराम चौधरी पुत्र अमराराम चौधरी, जाति– चौधरी, निवासी– हस्तिनापुर, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मुकेश किराणा स्टोर, वलदरा सर्कल, डोडुआ रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 7 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 02.12.2022 को पेश हो।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:22:51 IST
Reason: SelfAttested